

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5575
दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायकों को न्यूनतम वेतन

5575. श्री धर्मन्द्र यादव.:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) केन्द्र सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायकों (एडब्ल्यूएच) को प्रदान किया जाने वाला वर्तमान मूल मानदेय कितना है;
- (ख) राज्य सरकारें केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले पारिश्रमिक में किस प्रकार अनुपूरण करती है तथा विभिन्न राज्यों में इसमें कितनी भिन्नताएं हैं तथा इन भिन्नताओं के क्या कारण हैं;
- (ग) क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा आंगनवाड़ी सहायकों को कार्य-निष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं;
- (घ) यदि हाँ, तो तसंबंधी व्यौरा क्या है तथा इन प्रोत्साहनों को किस प्रकार क्रियान्वित किया गया है;
- (ङ) क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का वर्तमान मानदेय विभिन्न क्षेत्रों/राज्यों में एक समान पद के लिए न्यूनतम मजदूरी मानकों के अनुरूप है; और
- (च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी के अनुरूप 'आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (च): मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 एक केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र सरकार नीति और योजना के लिए जिम्मेदार है और राज्य सरकारें दिन-प्रतिदिन के कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां और सहायिकाएं स्थानीय समुदाय की “मानद कार्यकर्त्रियां” हैं, जो समुदाय की सहायता के लिए बाल देखभाल और विकास के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने हेतु स्वेच्छा से आगे आती हैं जिसके लिए उन्हें मानदेय का भुगतान किया जाता है। भारत सरकार समय-समय पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) के मानदेय में वृद्धि करती है। भारत सरकार ने दिनांक 1 अक्टूबर, 2018 से निर्धारित लागत साझाकरण अनुपात के अनुसार मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्रों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये प्रति माह; लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों पर 2,250 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये प्रति माह कर दिया है; आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,250 रुपये प्रति माह कर दिया है;

इसके अतिरिक्त, आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए 250 रुपये तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए 500 रुपये प्रति माह का कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन शुरू किया है। इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने संसाधनों से इन कार्यकर्त्रियों को अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन/मानदेय भी दे रहे हैं जो राज्य दर राज्य अलग-अलग है। इसका विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

मिशन पोषण 2.0 के तहत, कुशल निगरानी और सेवा वितरण के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) को स्मार्टफोन देकर तकनीकी रूप से सशक्त बनाया गया है। मोबाइल एप्लीकेशन पोषण ट्रैकर ने आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले भौतिक रजिस्टरों को डिजिटल बनाया है। इससे उनके काम की गुणवत्ता में सुधार होने के साथ ही आंगनवाड़ी केंद्र में चल रही सभी गतिविधियों की निगरानी करना भी सुगम हुआ है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायकों (एडब्ल्यूएच) को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित सहित विभिन्न पहल शुरू की गई हैं:

- i. पदोन्नति : मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ाए गए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के 50% पद 5 वर्ष का अनुभव रखने वाली आंगनवाड़ी सहायिकाओं द्वारा भरे जाने हैं तथा पर्यवेक्षकों के 50% पद 5 वर्ष का अनुभव रखने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाने हैं, बशर्ते कि वे अन्य मानदण्डों को पूरा करती हों।
- ii. सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएं : 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के अंतर्गत 2.00 लाख रुपये का जीवन बीमा (जीवन जोखिम, किसी भी कारण से मृत्यु को शामिल करता है) और 18-59 वर्ष की आयु वर्ग की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 2.00 लाख रुपये (दुर्घटना मृत्यु और स्थायी पूर्ण विकलांगता)/1.00 लाख रुपये (आंशिक लेकिन स्थायी विकलांगता) का दुर्घटना बीमा प्रदान किया गया है।
- iii. राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना के अंतर्गत स्वयं को नामांकित कराने के लिए प्रोत्साहित करें, यह योजना वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश में असंगठित क्षेत्रों हेतु एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है।
- iv. सेवानिवृत्ति तिथि: राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे उचित मानव संसाधन नियोजन सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के संबंध में एक समान सेवानिवृत्ति तिथि अर्थात् प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल को अपनाएं।
- v. वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत 5 लाख रुपये की वार्षिक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज देने की घोषणा की गई है।

अनुलग्नक

“आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को न्यूनतम वेतन” के संबंध में दिनांक 04.04.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5575 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

क्रम सं	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार स्वयं के स्रोतों से दिए जा रहे अतिरिक्त प्रोत्साहन/मानदेय (प्रति माह) रु.में	
		आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री	आंगनवाड़ी सहायिका
1	आंध्र प्रदेश	7000	4750
2	बिहार	2500	1725
3	छत्तीसगढ़	5500	2750
4	गोवा	5500 (0-10 वर्ष का अनुभव), 6000 (10-15 वर्ष का अनुभव), 8000 (15 से 20 वर्ष का अनुभव) 10000 (20- 25 वर्ष का अनुभव) और 12000 (25 वर्ष और इससे ज्यादा का अनुभव)	3000 (0-5 वर्ष का अनुभव), 3500 (5-10 वर्ष का अनुभव), 4000 (10 से 15 वर्ष का अनुभव) 4500 (15-20 वर्ष का अनुभव) 5250 (20 से 25 वर्ष का अनुभव) और 6000 (25 वर्ष और इससे ज्यादा का अनुभव)
5	गुजरात	5500	3250
6	हरियाणा	9500 (एडब्ल्यूडब्ल्यू 10 वर्ष से अधिक का अनुभव) 9000 (एडब्ल्यूडब्ल्यू 10 वर्ष से कम सेवा/अनुभव) 9000 (मिनी एडब्ल्यूडब्ल्यू) 4000 प्ले स्कूलों (अपग्रेडेड आंगनवाड़ी केन्द्रों) में कार्यरत 4000 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को 1000 रुपए प्रति माह अतिरिक्त भुगतान किया जाता है।	5250

7	हिमाचल प्रदेश	मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 5000 और मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 2950	3100
8	जम्मू एवं कश्मीर	600	300
9	झारखण्ड	5000 (मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्र) और 6000 (मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र)	2500
10	कर्नाटक	6500	4000
11	केरल	5 वर्ष की सेवा पूरी करने वाली को 8000/- रुपये तथा 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाली को 8500/- रुपये	5 वर्ष की सेवा पूरी करने वाली का 6250/- रुपये और 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाली का 6750/- रुपये
12	मध्य प्रदेश	मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 8500 और मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 3750	4250
13	महाराष्ट्र	5500 (10 वर्ष तक का अनुभव) 5800 (11 से 20 वर्ष का अनुभव), 5900 (21 से 30 वर्ष का अनुभव), 6000 (31 वर्ष और उससे अधिक का अनुभव)	3250 (10 वर्ष तक का अनुभव) 3415 (11 से 20 वर्ष का अनुभव), 3470 (21 से 30 वर्ष का अनुभव), 3525 (31 वर्ष और उससे अधिक का अनुभव)
14	ओडिशा	मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 3000 और मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 1875	1500
15	पंजाब	5000 (प्रति वर्ष 500 रुपये की वृद्धि)	3100 (प्रति वर्ष 250 की वृद्धि)
16	राजस्थान	4554	3036
17	तमिलनाडु	10502	6596
18	तेलंगाना	9150	5550
19	उत्तर प्रदेश	1500	750
20	उत्तराखण्ड	4800-एडब्लूडब्लू और 2750-मिनी एडब्लूडब्लू	3000

21	पश्चिम बंगाल	3750	4050
22	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	7500	5750
23	चंडीगढ़	3600	1800
24	दादरा एवं नगर हवेली/दमन एवं दीव	1000	600
25	लक्ष्मीपुर	5500	4750
26	दिल्ली	8220	4560
27	पुदुचेरी	1950	2125
28	अरुणाचल प्रदेश	16.01.2024 से 2000+ 1000 अर्थात्	16.01.2024 से 2000+ 1000 अर्थात्
29	असम	आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता के लिए 2000 और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता के लिए 1250	1000
30	मणिपुर	1000	600
31	मेघालय	मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 3000 और मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 1500	1000
32	मिजोरम	450	250
33	नागालैंड	0	0
34	सिक्किम	7000	4500
35	त्रिपुरा	5946 (अधिकतम) और 3500 (न्यूनतम)	4218 (अधिकतम) और 2750 (न्यूनतम)
36	लद्दाख	1300	650
